संख्याः 1215 / पांच–1–2020–5(19) / 2018टी0सी0–1

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना / साचीज
चतुर्थ तल, नव चेतन केन्द्र,
10 अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 16 अक्टूबर, 2020

विषय– : आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत आबद्ध चिकित्सालयों में कार्यरत आरोग्य मित्र के मानदेय की दरों का पुनर्निधारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–ए0बी0पी0एम0जे0ए0वाई0 / पत्रा0–43 एच0डी0 / 2020–21 / 1289, दिनांक 01.10.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयुष्मान भारत–नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के अन्तर्गत "आयुष्मान मित्र" के चयन एवं तैनाती के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–2259 / पांच–6–2018–5(19) / 2018 टी0सी0–1, दिनांक 27 जुलाई, 2018 द्वारा आरोग्य मित्रों का मानदेय रु0–5000 / – प्रतिमाह तथा प्रति उपचारित लाभार्थी रु0–50 / – की प्रोत्साहन राशि का प्राविधान किया गया है।

2– सरकारी चिकित्सालयों में योजनान्तर्गत लाभार्थियों के उपचार के उपरान्त चिकित्सालय द्वारा प्राप्त क्लेम धनराशि से आरोग्य मित्र के मानदेय का भुगतान किये जाने का प्राविधान है।

3– राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने समय–समय पर आयुष्मान मित्रों के मानदेय को बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है एवं अवगत कराया है कि अन्य राज्यों में न्यूनतम मजदूरी के अनुरुप यह मानदेय दिया जा रहा है।

4– अतः प्रकरण में उपरोक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत आबद्ध चिकित्सालयों में कार्यरत आरोग्य मित्रों का मानदेय एतद्द्वारा पूर्व निर्धारित रु0 5000 / – प्रतिमाह से बढ़ाकर रु0 10,000 / – किया जाता है।

5– आरोग्य मित्रों के मानदेय का भुगतान सम्बन्धित चिकित्सालय द्वारा योजनान्तर्गत प्राप्त क्लेम धनराशि से किया जायेगा। इस हेतु पृथक से किसी बजट का प्राविधान नहीं किया जायेगा।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
16.10.20
(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः 1215(1)/पांच–1–2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, नई दिल्ली।

2– अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

3– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

4– महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

5– मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ।

6– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7– निदेशक, बलरामपुर चिकित्सालय/श्यामा प्रसाद मुखर्जी(सिविल) चिकित्सालय/लोक बन्धु चिकित्सालय, लखनऊ/निदेशक, मानसिक चिकित्सालय, बरेली/वाराणसी एवं कैली, बस्ती।

8– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।

9– समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, उ0प्र0।

10– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(वी0 हेकाली झिमोमी)

सचिव।

संख्याः 1215/पांच–1–2020–5(19)/2018टी0सी0–1

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना/साचीज
चतुर्थ तल, नव चेतन केन्द्र,
10 अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक :16 अक्टूबर, 2020

विषय– : आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत आबद्ध चिकित्सालयों में कार्यरत आरोग्य मित्र के मानदेय की दरों का पुनर्निधारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–ए0बी0पी0एम0जे0ए0वाई0/पत्रा0–43 एच0डी0/2020–21/1289, दिनांक 01.10.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयुष्मान भारत–नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के अन्तर्गत "आयुष्मान मित्र" के चयन एवं तैनाती के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–2259/पांच–6–2018–5(19)/2018 टी0सी0–1, दिनांक 27 जुलाई, 2018 द्वारा आरोग्य मित्रों का मानदेय रु0–5000/– प्रतिमाह तथा प्रति उपचारित लाभार्थी रु0–50/– की प्रोत्साहन राशि का प्राविधान किया गया है।

2– सरकारी चिकित्सालयों में योजनान्तर्गत लाभार्थियों के उपचार के उपरान्त चिकित्सालय द्वारा प्राप्त क्लेम धनराशि से आरोग्य मित्र के मानदेय का भुगतान किये जाने का प्राविधान है।

3– राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने समय–समय पर आयुष्मान मित्रों के मानदेय को बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है एवं अवगत कराया है कि अन्य राज्यों में न्यूनतम मजदूरी के अनुरुप यहं मानदेय दिया जा रहा है।

4– अतः प्रकरण में उपरोक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत आबद्ध चिकित्सालयों में कार्यरत आरोग्य मित्रों का मानदेय एतद्द्वारा पूर्व निर्धारित रु0 5000/– प्रतिमाह से बढ़ाकर रु0 10,000/– किया जाता है।

5– आरोग्य मित्रों के मानदेय का भुगतान सम्बन्धित चिकित्सालय द्वारा योजनान्तर्गत प्राप्त क्लेम धनराशि से किया जायेगा। इस हेतु पृथक से किसी बजट का प्राविधान नहीं किया जायेगा।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः 1215(1)/पांच–1–2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, नई दिल्ली।

2– अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

3– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

4– महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

5– मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ।

6– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7– निदेशक, बलरामपुर चिकित्सालय/श्यामा प्रसाद मुखर्जी(सिविल) चिकित्सालय/लोक बन्धु चिकित्सालय, लखनऊ/निदेशक, मानसिक चिकित्सालय, बरेली/वाराणसी एवं कैली, बस्ती।

8– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।

9– समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, उ0प्र0।

10– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(वी0 हेकाली झिमोमी)
सचिव।